२३/७/१५	पत्रावली पेश हो। हस्ब पटे डिक्री किया गया है। जिन्सी निर्णय इजराय के नियमानुसार [illegible] [illegible] [illegible] किया जावे। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 फर्द 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

रामेश्वर पुत्र शिवलाल उम्र 64 साल जाति मीना निवासी खूबनगर कल्लापुरा तहसील करौली पटवार हल्का खूबनगर जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गुल्लो पुत्री शिवलाल पत्नि हंसराम जाति मीना उम्र 63 साल निवासी खूबनगर तहसील करौली हाल वासी कसारा तहसील मासलपुर
2. मंगलबाई पुत्री शिवलाल उम्र 62 साल पत्नि बाबूलाल मीना जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी कुमरावतपुरा भांकरी तहसील मण्डरायल करौली
3. मोहरसिंह पुत्र शिवलाल उम्र 45 साल जाति मीना निवासी कल्लापुरा खूबनगर तहसील करौली जिला करौली
4. लाखनबाई पुत्री शिवलाल उम्र 32 साल पत्नि हल्के मीना जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी कसारा तहसील मासलपुर जिला करौली
5. विरमा पुत्री शिवलाल उम्र 28 साल पत्नि सुआलाल जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी कुमरावतपुरा भांकरी तहसील मण्डरायल जिला करौली
6. शांति पुत्री शिवलाल उम्र 60 साल पत्नि हरीचरण मीना जाति निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी भांकरी कुमरावतपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
7. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

वद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती तहत धारा 88 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 43/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री दयानंद शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री रमाकांत शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1335 लगायत 1346 कुल किता 12 कुला रकबा 2.6681 है0 ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील करौली में अपना नाम जमाबंदी में रामे पुत्र शिवलाल के स्थान पर रामेश्वर पुत्र शिवलाल दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 7 को आदेश दिये जाते है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामे के स्थान पर रामेश्वर दुरूस्त कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ...29/9/25.................. को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:38:57 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–43/22 तारीख रजु:–24.11.2022

उनवान

रामेश्वर पुत्र शिवलाल उम्र 64 साल जाति मीना निवासी खूबनगर कल्लापुरा तहसील करौली पटवार हल्का खूबनगर जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गुल्लो पुत्री शिवलाल पत्नि हंसराम जाति मीना उम्र 63 साल निवासी खूबनगर तहसील करौली हाल वासी कसारा तहसील मासलपुर
2. मंगलबाई पुत्री शिवलाल उम्र 62 साल पत्नि बाबूलाल मीना जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी कुमरावतपुरा भांकरी तहसील मण्डरायल करौली
3. मोहरसिंह पुत्र शिवलाल उम्र 45 साल जाति मीना निवासी कल्लापुरा खूबनगर तहसील करौली जिला करौली
4. लाखनबाई पुत्री शिवलाल उम्र 32 साल पत्नि हल्के मीना जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी कसारा तहसील मासलपुर जिला करौली
5. विरमा पुत्री शिवलाल उम्र 28 साल पत्नि सुआलाल जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी कुमरावतपुरा भांकरी तहसील मण्डरायल जिला करौली
6. शांति पुत्री शिवलाल उम्र 60 साल पत्नि हरि[illegible] मीना जाति [illegible] निवासी खूबनगर तहसील करौली हालवासी [illegible] कुमरावतपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
7. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:38:5
Reason: SelfAttested

वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती तहत धारा 88 आटी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक:– 29/9/24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 आपस में खास सगे भाई बहन है और फरीकेन शिवलाल मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली की संतानें है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामेश्वर पुत्र शिवलाल मीना जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली है और वादी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड में वास्तविक सही नाम रामेश्वर पुत्र शिवलाल मीना जाति मीना निवासी खूबनगर तहसील करौली अंकित है जो वाद पत्र के साथ पेश है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की आराजी खसरा नंबर 1335 लगायत 1345 कुल किता 12 कुल रकबा 2.6681 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील करौली जिला करौली में स्थित है। जिसमें फरीकेन मुकदमा वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 6 का 1/7–1/7 हक व हिस्सा बराबर बराबर खातेदारी व कब्जा काश्त का है। जिसके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2076–2079 वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त आराजीयात का खातेदारी इन्द्राज करते समय राजस्व कर्मीयों की भूल से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी इन्द्राज में भूल से ''रामे'' अंकित हो गया है। जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामेश्वर पुत्र शिवलाल मीना है। वादी राजस्व रिकॉर्ड में नाम की त्रुटि होने से उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम रामे एवं जनाधार, मतदाता, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में दर्ज रामेश्वर होने से कानूनी अडचन व परेशानियों का सामना करना पड रहा है व सरकारी मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में वादी गलत दर्ज नाम रामे के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम रामेश्वर पुत्र शिवलाल शुद्धिकरण कराने का अधिकारी है। व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में गलत व अशुद्ध नाम रामे के स्थान पर रामे[illegible] पुत्र शिवलाल खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी है। [illegible] उक्त गलत खातेदारी इन्द्राज की जानकारी ऑन लाईन नकल जमाबंदी प्रति दिनांक 20.9.2022 को प्राप्त होने पर तब वादी द्वारा पटवार हल्का से तहसीलदार करौली से जानकारी कराने पर शुद्धिकरण की कहने पर राजस्व कर्मी पटवारी व तहसील करौली द्वारा शुद्धिकरण करने से इंकार करने पर व न्यायालय हाजा से शुद्धिकरण आदेश लाने की कहने पर अंदर हदूद अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2025.11.07 10:38:57 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हाजा पैदा हुई। वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामे के स्थान रामेश्वर पुत्र शिवलाल दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में "रामे" के स्थान पर रामेश्वर पुत्र शिवलाल दुरूरत किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपित्त नहीं होना व पूर्ण सहमति दी है एवं दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादी के अभिवचनों आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया वादग्रस्त आराजीयात दर्ज वादपत्र मंद नंबर 1 वादी व प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी अपना राम रामे के स्थान पर रामेश्वर दुरूस्त कराकर इन्द्राज कराने का अधिकारी है।

–वादी

4. अनुतोषः–

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी एवं अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड आदि की फोटो प्रति पेश की है। साक्ष्यवादी समाप्त की गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड से वादी का नाम रामेश्वर होना एवं राजस्व रिकॉर्ड में रामे घर पर बोलता नाम दर्ज होना प्रकट होता है। वादी अपना नामा राजस्व रिकॉर्ड में रामे के स्थान पर रामेश्वर दुरूस्त कराने हकदार है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1335 लगायत 1346 कुल किता 12 कुला रकबा 2.6681 है0 ग्राम खूबनगर पटवार हल्का खूबनगर तहसील करौली में अपना नाम जमाबंदी में रामे पुत्र शिवलाल के स्थान पर रामेश्वर पुत्र शिवलाल दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 7 को आदेश [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामे के स्थान पर रामेश्वर दुरूस्त कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....13/2/25..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:38:5
Reason: SelfAttested